यह पेज, इंग्लैंड में अंगदान के कानून के आगामी बदलावों के बारे में कुछ सबसे सामान्य प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है

क्या बदल रहा है ?

इंग्लैंड में अंगदान से लगता कानून बदल रहा है। इसका मतलब है कि वसंत 2020 से, इंग्लैंड में सभी वयस्कों को उनकी मृत्यु होने पर अंग दाता माना जाएगा, यदि उन्होंने दान नहीं करने का निर्णय दर्ज नहीं किया था या वे वर्जित समूहों में से एक में नहीं थे।

इसे सामान्यतः 'ऑप्ट आउट' सिस्टम कहा जाता है।

आप अंग दाता रजिस्टर में ऑप्ट इन या आउट करने के अपने निर्णय को दर्ज कर सकते हैं.

जिन्हें वर्जित रखा जाएगा:

- 18 से कम उम्र के लोग
- वे लोग जो 12 महीने से कम समय तक इंग्लैंड में रहे हैं या जो स्वेच्छा से यहां नहीं रह रहे हैं
- वे लोग जिनमे बदलाव को समझने की क्षमता की कमी है।

जिन व्यस्कों का बदलाव के अंतर्गत समावेश हुआ है, उन्हें फिर भी यह विकल्प होगा कि यदि वे अंग दाता बनना चाहते हैं और वे किन अंगो का दान करना पसंद करेंगे, और तब भी अंग दान प्रक्रिया करने से पहले उनके परिवारों को शामिल किया जाएगा।

इस बदलाव में से किन समूहों को बाहर रखा गया है?

- जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है
- जिन लोगों में नई व्यवस्थाओं को समझने और आवश्यक कार्यवाही करने की मानसिक क्षमता का अभाव है
- इंग्लैंड की मुलाक़ात पर आने वाले लोग, और वों जो यहाँ स्वेच्छा से नहीं रह रहे
- जो लोग अपनी मृत्यु से पहले, 12 महीने से कम समय के लिए इंग्लैंड में रहे हैं।

हमें ऑप्ट आउट सिस्टम की आवश्यकता क्यों है?

अंग दान में जबरदस्त प्रगति हुई है लेकिन अभी भी दाताओं की कमी है। हर साल ब्रिटेन में सैकड़ों लोग, जो प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में हैं, मर जाते हैं।

अपनी प्रगति को जारी रखने के लिए, हमें सार्वजनिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। 10 में से 6 से ज्यादा परिवार अंग दान के लिए सहमत हैं, लेकिन मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें 10 में से कम से कम 8 परिवारों की आवश्यकता है, जो दान का समर्थन करे और जीवन बचाने और बेहतर बनाने के लिए सहमत हो।

वेल्स के नवीनतम प्रमाण बताते हैं कि, 2015 में ऑप्ट आउट सिस्टम शुरू करने के बाद से, सहमति की दरें उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है. हम इंग्लैंड में वही प्रगति देखने के लिए उत्सुक हैं।

ऑप्ट आउट सिस्टम कब शुरू होगा?

'ऑप्ट आउट सिस्टम' वसंत २०२० में आएगी। नई प्रणाली कब लागू होगी इसकी सही तारीख की पुष्टि अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई है।

अंग दान को लेकर कानून बदलने के लिए इंग्लैंड में विधान संसदीय प्रक्रिया से गुजरा और रॉयल असेंट प्राप्त कि।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि, क्या बदल रहा है इस की जानकारी लोगो को देने के लिए बहुयात समय हो, बदलाव तुरंत प्रभाव में नहीं आएंगे। ऐसा करने से लोगों को यह चुनने के लिए समय मिलेगा कि क्या वे अंग दाता बनना चाहते हैं, और इस निर्णय को अपने परिवार और मित्रों के साथ बाँट सकते हैं।

यदि मैं ऑप्ट आउट नहीं करूं तो क्या आप स्वचालित रूप से मेरे अंग ले लेंगे ?

नहीं। अंग दान केवल कुछ ही मामलों में हो सकता है। ब्रिटेन में हर साल लगभग 500,000 लोग मरते हैं, लेकिन उनमें से 100 में से केवल 1 ही ऐसी परिस्थितियों में मरता हैं जहां वो अपने अंगों का दान करने में सक्षम हो। अंग किसी की मृत्यु के बाद तुरंत ही प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं और वे उपयोगी स्थिति में होने चाहिए, इसलिए दानकर्ता आमतौर पर केवल वे लोग हो सकते हैं जिनकी मृत्यु अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई या दुर्घटना और आपातकालीन विभाग में हुई हो। इन बाधाओं के कारण, हर संभावित दाता कीमती है।

दान होने से पहले आपके परिवार से संपर्क किया जाएगा। अंग दान प्रक्रिया को लेकर आपके परिवार को जो भी प्रश्न हो सकते हैं, उन को संबोधित किया जाएगा, इस मे कैसे आपकी आस्था, विश्वास या संस्कृति का सम्मान रखा जाएगा यह भी शामिल होगा। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप यह चुनें कि क्या आप दाता बनना चाहते हैं और अपने परिवार को बताएं। अपने परिवार के साथ अपने निर्णय पर चर्चा करें ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि आपकी पसंद आदत हो।

क्या मैं, मेरे शरीर का क्या होगा, इस का नियंत्रण खो रहा हूँ ?

नहीं। यदि आप अंग दाता बनना चाहते हैं, यह तब भी आपको ही चुनना होगा। और यदि आप दान नहीं करना चाहते हैं, तो एनएचएस अंग दाता रजिस्टर पर अपना निर्णय दर्ज करवाना यह वास्तव में तुरंत और सरल है। ऐसा करने का सबसे तेज और आसान तरीका ऑनलाइन है। यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप हमारे संपर्क केंद्र को ०३०० १२३ २३ २३ पर कॉल भी कर सकते हैं।

जल्दी और आसानी से आप अपनी प्रधान्ताओ को किसी भी समय एनएचएस अंग दाता रजिस्टर पर अपडेट कर सकते हैं। हम बिना अनुमति लिए लोगों के अंगों को नहीं लेंगे।

हमेशा दान की प्रक्रिया होने से पहले आपके परिवार से सलाह ली जाएगी। अंग दान प्रक्रिया को लेकर आपके परिवार को जो भी प्रश्न हो सकते हैं, उन को संबोधित किया जाएगा, इस मे कैसे आपकी आस्था, विश्वास या संस्कृति का सम्मान रखा जाएगा यह भी शामिल होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आपके परिवार और दोस्तों को आपकी पसंद पता हो. इससे उन्हें आपकी पसंद का सम्मान रखने में आसानी होती है, जो भी वों पसंद हो।

क्या आप फिर भी मेरे परिवार से अनुमति लेंगे ?

हाँ। अंग दान के बारे में परिवारों से सलाह लेना जारी रहेगा। इसके कई कारण हैं:

- परिवार जो अपने किसी करीबी को खोने का सामना कर रहा है, उनको ध्यान मे रख कर
- परिवार के पास दान को लेकर व्यक्ति के फैसले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, जो एनएचएस अंग दाता रजिस्टर पर दर्ज किसी भी निर्णय से अधिक हाल ही की हो;
- परिवार का समर्थन उनके रिश्तेदार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सुनिश्चित करने में मदद करता है, जैसे कि अंग दान में हमारी विशेषज्ञ नर्सों को उनकी चिकित्सा, यात्रा और सामाजिक इतिहास उपलब्ध हो। अंग दान से पहले परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी, मेडिकल नोट्स और अन्य परीक्षणों के साथ, यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या व्यक्ति के अंग किसी और में प्रत्यारोपण करने के लिए सुरक्षित हैं या नहीं।

यदि अंग या ऊतक दान एक संभावना है तो आपके परिवार से हमेशा संपर्क किया जाएगा। यदि आपने पहले ही दान के बारे में कोई निर्णय लिया है और इसे अपने परिवार के साथ बांटा है, तो उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे आपके निर्णय का समर्थन करें, वो निर्णय जो भी हो।

यदि आपने किसी भी तरह से निर्णय दर्ज नहीं किया है और आप वर्जित समूह में नहीं हैं, तो आपके परिवार से संपर्क किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या उनके पास आपके अंग दान के निर्णय के बारे में कोई जानकारी है। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो यह माना लिया जाएगा कि आप अपने अंगों को दान करने के लिए सहमत हैं और आपके परिवार से इसके लिए समर्थन की उम्मीद रहेगी।

जो लागे 18 से कम आयु के है और जिनकी मानसिक क्षमता मे अछत है, उन्हें नए कानून से बाहर रखा गया है, लेकिन फिर भी वे एनएचएस अंग दाता रजिस्टर पर निर्णय दर्ज करवा सकते हैं। यह जानकारी चर्चा के समय परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी। वर्जित समूहों के लोगों के अंग दान का अंतिम निर्णय परिवार द्वारा किया जाता है, लेकिन उन्हें विशेषज्ञ नर्स द्वारा, किसी भी दर्ज किए गए निर्णय को ध्यान में रखने के लिए, प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्या इन बदलावों का मेरे बच्चो पर प्रभाव होगा ?

ऑप्ट आउट सिस्टम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां दान का निर्णय किसी 18 से कम आयु वाले के लिए लेने की आवश्यकता हो, परिवार को वह निर्णय लेने और सहमति प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।

एनएचएस अंग दाता रजिस्टर सभी के लिए खुला है, चाहे वो किसी बी उम्र का हो। चाहे कोई बच्चा अपना फैसला पंजीकृत करवाना चाहता हो, या बच्चे के माता पिता उसके लिए ऐसा करना चाहते हो, यह विकल्प उपलब्ध है। एनएचएस अंग दाता रजिस्टर पर दर्ज जानकारी, अंग दान में विशेषज्ञ नर्सें, जो अंग दान की संभावना को लेकर परिवार से संपर्क करते हैं, उनको सुलभ होती है।

क्या मेरे अंतिम संस्कार की योजनाएं प्रभावित होंगी ?

हमारे विशेषज्ञ नर्स हमेशा परिवार से बात करतें हैं यह जानने के लिए कि क्या अंतिम संस्कार की योजनाओं को लेकर किसी की आस्था, विश्वास या संस्कृति के कोई विचार है जो ध्यान मे रखने हैं। उदाहरण के लिए, त्वरित दफनाना या खुले ताबूत की प्रथा।

दाता के अंगों को निकालने के लिए की जानेवाली सर्जरी, उच्च कौशलपूर्ण पेशेवरों द्वारा कि जाती है, वैसी ही देखभाल, ध्यान और सम्मान के साथ, जैसी कि वे मरीज के जीवन को बचाने के लिए किसी ऑपरेशन में रखेंगे। सर्जरी के बाद सर्जिकल चीरों की ध्यान से मरहम-पट्टी की जाती हैं और शरीर को धोने तथा वस्त्र पहनाने को लेकर किसी अंतिम इच्छा का मान रखा जाता है।

कई दाता खुले ताबूत वाली अंतिम संस्कार की विधि को चुनते हैं।

अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो क्या किया जाएगा ?

एक बार नई व्यवस्था इंग्लैंड में लागू हो जाने पर, यदि आपने दान को नहीं चुनने का निर्णय व्यक्त नहीं किया है और आप किसी वर्जित समूह में नहीं हैं, तो यह माना जाएगा कि आप अपने अंगों को दान करने के लिए सहमत हैं। इसलिए, भले ही आप यह दर्ज न करे कि आप अंग दाता बनना चाहते हैं, आपके परिवार को यह बताना महत्वपूर्ण है कि आप क्या चाहते हैं।

यदि आपके पास विशिष्ट निर्देश हैं कि आप किन अंगों को दान करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको एनएचएस अंग दान रजिस्टर पर अपना दान निर्णय दर्ज करते समय यह जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

यदि आपकी मृत्यु उन परिस्थितियों में होती है जिन मे दान संभव है, तो आपके परिवार से हमेशा पूछा जाएगा कि क्या आपके सभी या कुछ ही अंगों को दान किया जाना चाहिए। उनकी सहमति के बिना आपके अंगों को दान नहीं किया जाएगा।

यदि आपने एनएचएस अंग दाता रजिस्टर पर अपने अंगों को दान करने का निर्णय पहले ही दर्ज कर चुके है, और अभी तक अपने परिवार को नहीं बताया है, तो कृपया उन्हें बताएं।

यदि आपने अंग दाता रजिस्टर पर ऑप्ट आउट निर्णय दर्ज किया है, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके परिवार को यह पता हो की आपने क्या निर्णय लिया है।

यदि आप अपने निर्णय को अपडेट या पुन: पुष्टि करना चाहते हैं, तो आप अपने विवरण में सुधार करें फॉर्म को पूरा कर सकते हैं या ०३०० १२३ २३ २३ पर कॉल कर सकते हैं।

क्या मैं अपना मन बदल सकता हूं?

हाँ। यदि आपने एनएचएस अंग दाता रजिस्टर पर अंग दान निर्णय दर्ज किया है और अपने विवरण को अपडेट करना चाहते हैं, या अपने निर्णय को बदलना या पुन: पुष्टि करना चाहते हैं, तो आप अपने विवरण में सुधार करें फॉर्म को पूरा कर सकते हैं या ०३०० १२३ २३ २३ पर कॉल कर सकते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि अंग दाता बनने का निर्णय आप अपने परिवार के साथ बांटे। इससे उन्हें अधिक आत्मविश्वास मिलेगा कि वें जानते है कि आप दान देना चाहते थे और उन्हें आपके निर्णय का मान रखने में आसानी रहेगी।

एनएचएस अंग दाता रजिस्टर क्या है?

एनएचएस अंग दाता रजिस्टर एक डेटाबेस है जो उन सभी लोगों का विवरण रखता है जिन्होंने अंग दान के बारे में निर्णय दर्ज करवाया है, चाहे उन्होंने दान करने का फैसला लिया हो या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मृत्यु पश्च्यात आपके निर्णय को आद्रता मिले, एनएचएस अंग दाता रजिस्टर पर दर्ज करवाना और अपने परिवार को बताना, ये सबसे अच्छे तरीके हैं।

यदि आप कानून में बदलाव के बारे में किसी से बात करना पसंद करते हैं, कृपया हमारी समर्पित लाइन पर कॉल करें : ०३०० ३०३ २०९४।

कृपया ध्यान दे, यह सेवा केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है।